न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 133/2022 बउनवानी कामिनी देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री भगवतराम जाति बरार निवासी बालेर तहसील खण्डार
GCMS No-2022/208

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
2.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. सिविल न्यायालय खण्डार के सामने मुख्य सड़क के दूसरी ओर पेट्रोल पम्प के पास वन विभाग की भूमि मे 12 बिस्वा भूमि की की गयी तरमीम की नक्शा शीट की छायाप्रति। 2. तहसील खण्डार के समस्त राजस्व ग्रामा में दिनांक 6.9.2022 तक कुल कितनी तरमीम हुई है। ग्राम वाईज कुल तरमीम व की गयी तरमीम एवं शेष रही तरमीमो की सूचना। 3. तहसील खण्डार के प्रत्येक राजस्व ग्राम मे मुख्य सड़क के पास आज दिनांक 6.9. 2022 तक कितनी तरमीमे की गयी है ग्रामवार सूचना देवे। 4. वर्ष 2010 से तहसील खण्डार के पटवार मण्डल कस्बा खण्डार,पटवार मण्डल जयसिंहपुरा पटवार मण्डल गोठ बिहारी मे दिनांक 6.9.2022 तक कितनी भूमियो का रूपान्तरण किया गया है उनके ख0न0 का क्षेत्रफल एवं किस अधिकारी के द्वारा गयी है की सूचना उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/594 दिनांक 16.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2022 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2022/6325 दिनांक 16.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅंचता हूॅं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 6.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 6325 दिनांक 16.11.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार अमल दरामद हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:40:30 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर